No.: RNWM/AV/2024-25/0466
Date: 05.02.2025

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
स्थानीय प्रधान कार्यालय
बेंगलुरू

महोदया,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23, सामान्य बैंकिंग शाखा खोलना:

तेलसंग

कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे परिपत्र संख्या एन बी जी/ बी आर एन डबल्यू एम – बी ए /2/2017-18 (क्रं॰सं. 213/2017-18) दिनांक 25.05.2017 एवं परिपत्र संख्या एनबीजी/बीओडी – जीबी/61/2014-15 (क्र.सं.753/2014-15) दिनांक 22.09.2014 को संदर्भित करें।

1. परिपत्र सं. आरबीआई/2013-14/330 – बैंपविवि. सं. बीएपीडी.बीसी.60/22.01 001/2013-14 दिनांकित 21 अक्तूबर 2013 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक को, एक सामान्य बैंकिंग शाखा अनुबंध में दिए गए केंद्र / स्थान में खोलने की अनुमति दी जाती है।

2. उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i) अनुबंध में उल्लेख किए अनुसार आबंटित केंद्र / स्थान पर ही शाखा खोली जानी चाहिए।

ii) शाखा खोलने के संबंध में विवरण (अर्थात् पता खोलने की तारीख आदि) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। यह सूचना सामान्यत: उक्त शाखा खोलने के तुरंत बाद अथवा त्रिमाही के अंदर भेजे जाने चाहिए। मंडल द्वारा शाखा खोलने संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक की परिपत्र सं. आरबीआई/ 2018-19/228/डीआरबी.क्र. बीएपीडी.बीसी. 50/22.01.001/2018-19 दिनांक 28 जून 2019 के निर्देशानुसार बैंकिंग शाखा / आउटलेट खोलने के एक सप्ताह के भीतर आरबीआई को

The Chief General Manager
State Bank of India
Local Head Office
BENGALURU

Madam,

Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949- Opening of General Banking Branch:

TELSANG

Please refer to our e-Circular No. NBG/BRNWM-BA/2/2017-18 (Sl. No. 213/2017-18) dated 25.05.2017 and e- Circular No. NBG/BOD-GB/61/2014-15 (Sl. No. 735/2014-15) dated 22.09.2014.

1. In exercise of powers conferred by Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/2013-14/330-DBOD.NO.BAPD.BC.60/ 22.01.001/2013-14 dated October 21, 2013, it has been decided to accord "permission" for opening one general Banking Branch at the Centre / place given in the Annex.

2. The permission shall be subject to the following conditions:

i) The branch should be opened only at the Centre / place as mentioned in the Annex.

ii) The details (i.e. address, date of opening etc) regarding opening of branch should be reported to the Department of Banking Supervision / DSIM, Reserve Bank of India, Regional Office concerned. The reporting should normally be done immediately after the opening of the Branch or within the quarter. Circle to report opening of branch, as per instructions of RBI vide Circular No. RBI/2018-19/228/DRB. No.BAPD.BC. 50/ 22.01.001/2018-19 dated June 28, 2019, on the prescribed format, to RBI through CISBI portal within one week of opening of the Banking Branch / outlet.

सीआईएसबबीई पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट करना है।

iii) सर्कल शाखा खोलने के तुरंत बाद वितीय सेवा विभाग (डीएफ़एस), MOF द्वारा विकसित जन धन दर्शक पोर्टल पर विवरण अद्यतन करना सुनिश्चित करे।

iii) Circle must ensure the details regarding the branch opened on Jan Dhan Darshak Portal, developed by the Department of Financial Services (DFS) of MOF, immediately after opening of the Branch.

3. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा प्राधिकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर खोली जाएं। यदि शाखा प्राधिकरण तारीख से एक वर्ष के भीतर (**अर्थात् 03-02-2026) तक** नहीं खोली जाती तो उसके संबंध में इस पत्र के जरिए दी गयी अनुमति निरस्त मानी जाएगी।

3. You should ensure that the branch is open within a year from the date of authorisation. The permission conveyed vide this letter will lapse in respect of branch which is not opened within a year from the date of authorisation (i.e.**by 03-02-2026).**

4. अनुमति पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के कारण शाखा को इसके रिकार्ड का उचित ध्यान रखना चाहिए।

4. The letter of permission being an important document, due care should be taken by the Branch for its preservation.

5. यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि शाखा सरकारी व्यवसाय कार्यकाज हेतु इच्छुक हैं तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी तथा सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से पूर्व – अनुमति प्राप्त की जाए।

5. It may be ensured that prior permission of the competent Government Authority and the Department of Government and Bank Accounts, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai is obtained, if the branch intends to handle Government business.

6. कृपया नोट करें कि उपर्युक्त शर्तों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 का उल्लंघन माना जाएगा।

6. Please note that any violation of the terms and conditions mentioned above will be treated as a violation of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

7. मंडल को यह सुनिश्चित करना है कि:

7. The Circle should ensure following sequencing of branch opening:

i) बैंकिंग रहित ग्रामीण क्षेत्रों में (टियर 5 एवं 6) में शाखा खोलने की प्राथमिकता होनी चाहिए। कुल खुलने वाली शाखाओं का 25% बैंकिंग रहित ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खुलनी चाहिए।

i) To prioritize (mandated) opening of branches in rural unbanked areas (Tier 5 & 6). 25% of total branches to be opened in unbanked rural areas.

ii) अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने से पहले सुनिश्चित कर लें कि इन केंद्रों पर व्यवसाय की संभावनाएं हैं।

ii) Please ensure Potential at the Centre before opening these RUSU branches.

iii) शाखा यूनिफ़ोर्म इंटर्नल लेआउट, एलीवेशन और कलर स्कीम, जो कि मास्टर सर्क्युलर न: एनबीजी /बीआरएनडब्लूएम-ब्रांचेज/8/2017-18 दिनांक 27.02.2018 में अनुमोदित है, के अनुसार खोली जानी चाहिए।

iii) Branch should be opened as per Uniform Internal Layout, Elevation and Colour Scheme of Branches approved vide Master Circular No. NBG/BRNWM-BRANCHES/8/2017-18 dated 27.02.2018.

iv) रैंप की संरचना को सर्कल द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

iv) Provision of RAMP must be confirmed by the Circle.

v) दोहरी कन्नेक्टिविटी शाखा खोलने से पहले सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य हैं।

v) Dual Connectivity must be ensured before opening of Branch.

vi) शाखा खोलने से पहले सक्षम अधिकारी से वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए अनुमोदन की उपलब्धता सुनिश्चित करें

vi) Ensure availability of approval for Commercial Licence from competent authority before opening of Branch.

vii) शाखा को सामान्य शाखा प्रबंधन नीति में दिए गए विभिन्न मापदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

8. सर्कल को प्रस्तावों को अधिकृत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए निम्नलिखित विशेष अवलोकनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए:

"शाखा परिसर का चयन करते समय और प्रस्तावित शाखा में प्रचालन शुरू करते समय सामान्य शाखा प्रबंधन नीति में निहित सभी अनुदेशों का ध्यान रखा जाना चाहिए। शाखा के निष्पादन विशेषकर व्यापार के स्तर और लाभप्रदता सर्कल प्रबंधन और नियंत्रकों द्वारा बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए और प्रतिकूल भिन्नताओं के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि प्रस्तावित शाखा के लिए चयनित शाखा कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो ताकि उनके द्वारा कोई डीक्यूआई त्रुटियां न की जा सकें और एओएफ माइग्रेशन आदि समय पर किया जाना चाहिए। शाखा के कर्मचारियों को भी सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षणों के संपर्क में लाया जाना चाहिए ताकि शाखा में कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की कोई घटना न हो। "

भवदीय,

महा प्रबंधक (आर एस)
(अनुलग्नक संलग्न)

vii) The Branch should comply with various parameters and requirements as given in the General Branch Management Policy.

8. Circle must ensure compliance of following special observations made by Competent Authority while authorizing the proposals:

"All the instructions as contained in General Branch Management Policy must be taken care of while selecting the branch premises and commencing operations in the proposed Branch. The performance of the branch esp. business levels and profitability must be closely monitored by the Circle Management and controllers and corrective actions must be taken in case of adverse variations. It must be seen that Branch staff selected for the proposed Branch gets adequate training so that no DQI errors are committed by them and AOFs migration etc. must be done in a timely manner. The Branch staff should also be exposed to soft skill trainings so that no incident of staff misbehavior happens at the Branch."

Yours faithfully,

General Manager (RS)
(Annexure Attached)

AUTHORISATION FOR OPENING OF – METRO / URBAN /SEMI-URBAN / RURAL **Annexure - A**

DATE OF AUTHORISATION: 04.02.2025

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

DATE OF EXPIRY OF AUTHORISATION: 03.02.2026

2024-25 AUTHOR-ISATION /क्र. सं / Sr. No.	केंद्र / CENTRE	जिला / DISTRICT	राज्य / STATE	जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण/ POPULATION GROUP-WISE CLASSIFICATION	शाखा वर्गीकरण / TYPE OF BRANCH / OFFICE	बैंपविवि, केका मुंबई/ क्षेका, बैंपवि/ DBOD, CO, MUMBAI/ RO, DBS
0466	तेलसंग	बेलगावी	कर्नाटक	अर्ध शहरी	शाखा	बेंगलुरू
	TELSANG	BELAGAVI	KARNATAKA	SEMI URBAN	BRANCH	BENGALURU